454

संख्या–715 /XVIII-(2)/2016-12(21)/2015

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
डी0डी0एम0ए0, रूद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1, देहरादून :दिनांक 27 अप्रैल, 2016

विषयः– **डी0डी0एम0ए0 रूद्रप्रयाग के अंतर्गत श्री केदारनाथ धाम में 120 पर्यटक कॉटेज (प्रोजेक्ट कोड–12411) हेतु एस0पी0ए0(आर) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–317/DDMA/2015-16, दिनांक 16.03.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या–F.No. 44(21)/PFI/2013-1593, दिनांक 27.03.2015 के द्वारा स्वीकृत 19 परियोजनाओं हेतु कुल ₹ 267.02 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा उसके सापेक्ष एस0पी0ए0 (आर) के अंतर्गत प्रोजेक्ट कोड संख्या–12411 में स्वीकृत उक्त परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल ₹ 3000.00 लाख (₹ तीस करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त की गई है। परियोजना की टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत आंगणन की परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹ 307.40 लाख सिविल कार्यो हेतु एवं अधिप्राप्ति के लिये ₹ 2665.04 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 2972.44 लाख (₹ उन्तीस करोड़ बहत्तर लाख चवालीस हजार मात्र) है।

2– अतः उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹ 3000.00 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग की टी.ए.सी. द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गई कुल धनराशि ₹ 2972.44 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में ₹ 1614.48 लाख (₹ सोलह करोड़ चौदह लाख अड़तालीस हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या–3413, दिनांक 25.09.2015 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। पूर्व में स्वीकृत धनराशि में से ₹ 1490.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप अवशेष धनराशि ₹ 1357.96 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट व्यवस्था में से ₹ 1100.00 लाख (₹ ग्यारह करोड़ मात्र) के आहरण कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु शासनादेश संख्या–966/XVIII-(2)/2015-15(15)/2015 दिनांक 06.04.2015 द्वारा निर्धारित शर्ते / प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

(5)

2. यह धनराशि आपदा, 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये स्वीकृत की जा रही है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यो के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन तथा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदान (दिनांक 01.04.2016 से 31.07.2016 तक) के अनुदान संख्या–06 के लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80– सामान्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0109–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा,2013) के अंतर्गत शेल्टर–सह–गोदाम निर्माण हेतु अनुदान–24– वृहद् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4— उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–718 (1) /XVIII-(2)/2016-12(21)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
6. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–1 एवं 5, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाइल।

28-4-2016

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
उप सचिव